

कार्यालय संचालक
म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)
कलियासोत डेम के पास कोलार रोड भोपाल-462016
दूरभाष 0755-4082502, 4082525

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल में प्रशिक्षण संबंधी कार्यों के लिए किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंध ई-निविदा फार्म

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल कार्यालय में 01 वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की छोटी कार, 16 सीटर टेम्पो ट्रेवल्स, 32/52 सीटर ए.सी./नॉन ए.सी. लकजरी/डीलक्स/वाल्चो बस किराये पर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक म.प्र. / स्थानीय पंजीकृत (रजिस्टर्ड) ट्रेवल्स एजेंसियों से निविदा प्रणाली में ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई निविदा पोर्टल www.mptenders.gov.in के माध्यम से तीन लिफाफा पद्धति में (एक लिफाफे में धरोहर राशि दूसरे में तकनीकी बिड एवं तीसरे लिफाफे में वित्तीय बिड हो, प्रत्येक लिफाफे के उपर निविदाकार को स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है) आमंत्रित की जाती है। निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण संबंधी कार्यों के लिए समस्त प्रकार की छोटी कार, 16 सीटर टेम्पो ट्रेवल्स, 32/52 सीटर ए.सी./नॉन ए.सी. लकजरी/डीलक्स बस	रुपये 60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र)	रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र)	एक वर्ष

टीप:- निविदा प्रपत्र निविदा सूचना प्रकाशन से दिनांक 18 जनवरी, 2020 तक क्रय किये जा सकते हैं। ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 19 जनवरी, 2020 शाम 5:00 बजे तक है। निविदा सूचना में कोई भी संशोधन समाचार पत्र में न दिया जाकर वेबसाइट पर ही जारी किये जायेंगे। केवल उपरोक्त वेबसाइट से ही ऑनलाईन भुगतान कर निविदा प्रपत्र क्रय किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा तथा अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट www.mptenders.gov.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। विधिवत् भरी व तकनीकी निविदा संबंधी दस्तावेज दिनांक 19 जनवरी, 2020 शाम 5:00 बजे तक तक हार्ड कॉपी में ई-भुगतान की रसीद सहित संस्थान (वाल्मी) कार्यालय की आवक शाखा में जमा करना अनिवार्य है। निविदा दिनांक 20 फरवरी 2021 को अपराह्न 3.00 बजे प्रशा. अधिकारी महोदय कक्ष में खोली जावेगी।

संचालक
म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान
(वाल्मी), भोपाल

भोपाल में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदा प्रपत्र (तकनीकी)

निविदा प्रपत्र भाग-1

निविदाकार से संबंधित जानकारी तथा आवश्यक शर्तें।

1.	निविदाकार का नाम	
2	कार्यालय का पूरा पता एवं दूरभाष क्रमांक	
3	निवास का पूरा पता एवं दूरभाष	
4	ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर	
5	यदि निविदा फर्म/संस्था की ओर से है तो फर्म/संस्था के मालिक/संचालक का नाम एवं पूर्ण पता	
6	निविदाकार के लिए यह घोषणा पत्र नोटराईज्ड संलग्न करना आवश्यक है कि उनकी संस्था/एजेंसी को किसी शासकीय विभाग/संस्था द्वारा वाहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।	
7	क्या निविदाकार को किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में सिद्ध दोष ठहराया गया है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखे अथवा इस बाबत घोषणा पत्र संलग्न करें कि संस्था/फर्म को किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है। यदि यह संज्ञान में आया तो निविदा स्वतः समाप्त मानी जावेगी।	
8	शासकीय कार्यालयों में वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का तीन वर्ष का अनुबंध विवरण दें	
क्रमांक	कार्यालय का नाम	अवधि
(1)		
(2)		
(3)		
9	वाणिज्यिक कर विभाग का जीवित कं. (वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) यदि वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आवेदन दिया है तब आवेदन की छायाप्रति संलग्न करें।	
क्रमांक	कार्यालय का नाम	पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक
(1)		
10	निविदाकार का सेवा कर खाते का विवरण (सर्विस टैक्स रिटर्न की प्रति संलग्न करें)	

11	निविदाकार के स्वामित्व में उपलब्ध वाहनों का विवरण एवं टर्न ओवर	
अ	वाहनों का विवरण वाहन टैक्सी परमिट का होना चाहिये स्वयं के स्वामित्व में 05 एवं 10 अन्य अनुबंधित वाहन होना चाहिये तथा वाहनों का अभिलेख/परमिट/टैक्स का भुगतान अद्यतन होना चाहिये।	

क्र.	वाहनों का प्रकार	मेक	संख्या	सीट संख्या
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

टर्न ओवर		
	निविदाकार का विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर 120 लाख सालाना होना चाहिये टर्न ओवर के संबंध में सीए की ऑडिटेड रिपोर्ट एण्ड लॉस एकाउंट संलग्न करें (आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें)	
क्र.	वाहनों का प्रकार	मेक
1		
2		
3		
7		
5		

12	सुरक्षा निधि की राशि का विवरण रुपये 60,000/-	
13	निविदाकर्ताओं के वाहनों का आरटीओ कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा संबंधित प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। पंजीकृत वाहन का बीमा/रोड टैक्स/पॉल्यूशन फिटनेस दस्तावेज भी पूर्ण होने संबंधी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	

निविदा की शर्तें :-

पक्ष क्रमांक 1 - म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान पढ़ा जावे।	
पक्ष क्रमांक 2 - निविदाकार / एजेंसी पढ़ा जावे।	
14	न्यूनतम निविदा दर मान्य करते समय तुलना का आधार उस श्रेणी से संबंधित वाहन के लिए निविदाकार द्वारा दी गई मुख्य दरें होंगी। पूरक दरें समस्त निविदाकारी द्वारा दी गई पूरक दरों में न्यूनतम दरों के आधार पर निर्धारित की जावेगी।
15	दर प्रदायकर्ता को अपने प्रस्ताव के साथ रुपये 60000/- की धरोहर राशि संलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, संचालक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, वाल्मी भोपाल के नाम से देय होगी। सफल निविदा कार को अनुबंध पूर्व रु. 2,00,000.00 (रु. दो लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट सुरक्षा निधि के रूप में कार्यालय में जमा करना होगा.
16	संस्थान निविदाकार के द्वारा दर्शित दरों के न्यूनतम होने के उपरांत भी यदि उसकी दरों को बाजार मूल्यों की तुलना में अव्यवहारिक मानती है या यह आंकलन करती है कि निविदाकार वाहनों का प्रदाय नियमित रूप से करने में असमर्थ रहेगा तो संस्थान उच्च दरों वाले निविदाकार की दरें मान्य करने पर विचार कर सकेगी।
17	मासिक रूप से लगाये वाहन का भुगतान माह की अवधि पूर्ण होने पर देय प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। मासिक रूप से लगाये गये वाहन की लॉग बुक प्रदायकर्ता एजेंसी के द्वारा संधारित करना होगी, लॉग बुक पर उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर भी प्रतिदिन प्राप्त करना होंगे। इस लॉग बुक को देयक के साथ मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। लॉग बुक में किसी भी प्रकार की कांट-छांट होने पर उसे उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।
18	किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार, संचालक, म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
19	वाहन की किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में इससे संबंधित समस्त परिवार का सरोकार पक्ष क्रमांक 2 का होगा।
20	यदि मासिक रूप से लगाये गये वाहनों को माह के बीच में बंद किया जाता है तो अनुपातिक रूप से किये गये दिवसों के लिए इस हेतु नियत राशि के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
21	दैनिक रूप से किराये पर लगाये गये वाहनों के साथ ड्यूटी स्लिप जिसमें उपयोग के समय की अवधि वाहन क्रमांक, वाहन का प्रकार, संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके साथ देयक प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। ड्यूटी स्लिप में उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ-साथ उनका नाम एवं पदनाम/पता अनिवार्यतः अंकित कराया जावे। किसी प्रकार की कांट-छांट होने पर उसे उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित भी कराना होगा।
22	यदि पक्ष क्रं. 2 निर्धारित अवधि के पूर्व अनुबंध समाप्त करना चाहता है तब 1 माह की पूर्व सूचना देनी होगी। पक्ष क्रं. 2 द्वारा पूर्व सूचना न देने पर पक्ष क्रं. के शेष देयकों का भुगतान नहीं किया जावेगा व निष्पादन गारंटी राजसात कर ली जावेगी।
23	वाहन अगर शासकीय कार्यवश भोपाल शहर से बाहर भेजा जाता है तो रात्रि विश्राम के दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान पक्ष क्रं. 2 को देय नहीं होगा।
24	यह कि पक्ष क्रं. 2 अपनी फर्म के संचालक सहित समस्त स्टाफ के नाम, उनके घर के पते तथा कार्यालय निवास में स्थापित दूरभाष एवं मोबाईल की सूची पक्ष क्रं. को उपलब्ध करायेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के पालन में 6 घंटे के पूर्व सूचना पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करायेगा।
25	पक्ष क्रं. 2 अनुबंध प्रपत्र में उल्लेखित किसी भी शर्तों का अगर पालन नहीं करता है तो पक्ष क्रं. 2 के देयक में से एक हजार रुपये की कटौती की जायेगी यह कटौती उतनी बार होगी जितनी बार शर्तों का उल्लंघन होगा।
26	यह कि पक्ष क्रं. 2 वाहन खराब होने की स्थिति में यथा समय में अविलम्ब (1 घंटे की अवधि में) दूसरा वाहन पक्ष क्रमांक 1 को उपलब्ध करायेगा।
27	यह कि पक्ष क्रं. 2 यथा समय में वाहन उपलब्ध नहीं कराता है तो पक्ष क्रं. 1 द्वारा बाजार दर पर वाहन की सेवा ले ली जायेगी तथा इसके लिए तथा इसके लिए किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति पक्ष क्रं. 2 के मासिक देयक से की जावेगी।
28	पक्ष क्रं. 2 द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहन साफ-सुथरे सफदे सीट कवर परफ्यूम एवं मोबाईल

	चार्जर युक्त होगा।
29	पक्ष कं. 2 के लिए सभी वाहनों में तात्कालिक उपचार के लिए प्रथम उपचार किट रखना अनिवार्य होगा।
30	उपलब्ध कराये गये समस्त वाहन 01 जनवरी 2020 की स्थिति में दो वर्ष से अधिक पुराने तथा 50 हजार कि.मी. से अधिक चले हुये नहीं होना चाहिये।
31	वाहन चालकों को पक्ष कं. 2 द्वारा वर्दी उपलब्ध करायी जावेगी। इस वर्दी का रंग पक्ष कं. 1 एवं पक्ष कं. 2 की सहमति से निर्धारित किया जावेगा।
32	पक्ष कं. 2 स्वयं का मोबाईल तथा उपलब्ध कराये गये वाहन चालकों के मोबाईल निरन्तर चालू हालत में रखना सुनिश्चित करेगा ताकि वाहन उपयोगकर्ता अधिकारियों द्वारा उनसे संपर्क कर निर्देशित किया जा सके।
33	पक्ष कं. 2 की यह जिम्मेदारी होगी कि वह वाहन संबंधी समस्त दस्तावेज, बीमा, वाहन चालकों का ड्राइविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या इसके समक्षक कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र पक्ष कं. 1 के कार्यालय में जमा कराये तथा इसकी एक प्रति संबंधित वाहन में भी रखेगा।
34	पक्ष कं. 2 द्वारा पक्ष कं. 1 को किराये पर उपलब्ध कराये गये वाहनों का जीवित बीमा होना अनिवार्य होगा। समिति द्वारा वाहन से संबंधित किसी भी प्रपत्र के मूल दस्तावेज पक्ष कं. 2 से बुलाये जा सकेंगे।
35	वाहन चालक अनुशासन में रहे इसकी जिम्मेदारी (जिसमें समय की पाबंदी भी शामिल है) पक्ष कं. 2 की होगी।
36	यात्रा के दौरान वाहन को दुर्गम स्थानों पर भी ले जाया जा सकता है। पक्ष कं. 2 द्वारा लगाये गये वाहन चालकों का व्यवहार मृदुल एवं सौम्य होना चाहिये, वाहन चालकों के अनुशासन की पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष कं. 2 की रहेगी। यदि वाहन चालक का स्वभाव उचित नहीं है एवं उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा इसकी शिकायत की जाी है तो उसे पक्ष कं. 2 को एक दिवस के भीतर परिवर्तित करना होगा।
37	पक्ष कं. 1 के अधिकारियों द्वारा लॉगबुक पर हस्ताक्षर के अनुसार वाहन के परिचालन की दूरी की गणना के साथ पक्ष कं. 2 द्वारा उपलब्ध द्वारा माह के प्रथम सप्ताह में अपना देयक पक्ष कं. 1 के कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा।
38	यह कि पक्ष कं. 2 द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहनों के उपयोग का समय प्रातः 9.00 बजे से संध्या 9.00 बजे तक (12 घंटे) होगा। पक्ष कं. 1 को आवश्यकता होने पर वाहन को देर तक रोका जा सकता है।
39	पक्ष कं. 2 द्वारा उपलब्ध वाहन 24x7 घंटे के लिए पक्ष कं. 1 के पास रहेगी। वाहन में पेट्रोल/डीजल पर्याप्त मात्रा में हमेशा उपलब्ध रखने की जिम्मेदारी पक्ष कं. 2 की रहेगी। वाहन में पेट्रोल डीजल भरवाने हेतु वाहन को पेट्रोल पम्प तक जाने आने में उपयोग किये गये कि.मी. का उपयोग पक्ष कं. 2 के देयक में कम किया जावेगा।
40	यह कि वाहन चालक को सप्ताह में केवल एक दिवस का अवकाश (रविवार) रहेगा, परन्तु पक्ष कं. 1 को वाहन की आवश्यकता होने पर अवकाश के दिवस में भी वाहन चालक की सेवार्थ उपलब्ध कराना होगा।
41	वाहन सेवा की सुव्यवस्थित बनाये रखे की दृष्टि से अनुबंध की शर्तों में दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा।
42	इस अनुबंध के अन्तर्गत दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पक्ष कं. 2 संचालक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निराकरण की याचना कर सकेगा।
43	किसी भी वाद की स्थिति में न्याय / विचारण का क्षेत्र भोपाल रहेगा।
44	यदि एक अधिकारी को एकल वाहन आवंटित किया जाता है तो वित्त विभाग के निर्देशानुसार 1000 कि. मी. दूरी चलने की पात्रता है परन्तु संस्था के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी वाहन का उपयोग अतिथि संकाय सदस्यों को संसीन लाने एवं छोड़ने में किये जाने से वाहन की मासिक सीमा 1200 कि.मी. रहेगी, यदि दो अधिकारियों के बीच में एक वाहन आवंटित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति 600 कि.मी. के मान से कुल 1200 कि.मी. प्रतिमाह की यात्रा की पात्रता रहेगी। यदि वाहन धिारित सीमा से अधिक उपयोग किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को सक्षम अधिकारी संचालक से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

घोषणा पत्र

मैं पिता/पति..... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर सरल क्रमांक 1 से 13 तक में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी तथ्य को मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने निविदा की शर्तें अच्छी तरह से पढ़/समझ लिया है, तथा पक्ष क्रमांक 1 की समस्त शर्तें मुझे / हमें मान्य हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम-

दूरभाष कं.-

मोबाईल कं.-

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए

निविदा प्रपत्र भाग-2 वित्तीय निविदा

वाहन का नाम/प्रकार	श्रेणी ए				श्रेणी बी				श्रेणी सी				श्रेणी डी				श्रेणी ई					
	मुख्य दर		पूरक दर		मुख्य दर		पूरक दर		मुख्य दर		पूरक दर		मुख्य दर		पूरक दर		मुख्य दर		पूरक दर			
	8 घंटे 40 कि.मी		प्रति अतिरिक्त कि.मी.		1 दिन 80 कि.मी.		प्रति अतिरिक्त कि.मी.		1 सप्ताह 300 कि.मी.		प्रति अतिरिक्त कि.मी.		1 माह 1000 कि.मी.		प्रति अतिरिक्त कि.मी.		1 माह 1200 कि.मी.		प्रति अतिरिक्त कि.मी.		नाइट आउट	
	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
बस 50/52 सीटर																						
बस 32 सीटर																						
16 सीटर टेम्पो ट्रेवलर																						
24 सीटर टेम्पो ट्रेवलर																						
इनोवा																						
स्कर्पियॉ																						
ट्वेरा																						
बोलेरो																						
सियाज																						
डिज़ाजर																						
टाटा टिगोर																						
टाटा tiago																						

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम

पता

नोट- न्यूनतम निविदा दर मान्य करते समय तुलना का आधार उस श्रेणी से संबंधित वाहन के लिए निविदाकार द्वारा दी गई मुख्य दरें होंगी।

- अन्य समस्त निविदाकर्ता द्वारा दी गई पूरक दरों के आधार पर न्यूनतम मुख्य दरों की निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदा तथा संस्थान के मध्य बातचीत (निगोशिएशन) द्वारा पूरक दरें निर्धारित की जावेगी।